

क्रम-सं०-46(क-3)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 07 मार्च, 2011

फाल्गुन 16, 1932 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 1915/सात-न्याय-2-2010-87जी/2008

लखनऊ, 07 मार्च, 2011

अधिसूचना

प०आ०-219

नई दिल्ली में दिनांक 18 सितम्बर, 2004 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन, जहां भारत सरकार के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों से न्यायालयों में लंबितवादों के त्वरित निस्तारण के लिये समुचित उपाय करने हेतु अनुरोध किया गया था, में पारित संकल्पों के अनुसरण में और संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उच्च न्यायालय इलाहाबाद एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाता है :-

प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालय नियमावली, 2011

1-(1) यह नियमावली प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालय नियमावली, 2011 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी और दिनांक 31 मार्च, 2015 अथवा सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यथा बढ़ायी गयी अग्रतर अवधि तक प्रभावी रहेगी।

परिभाषायें 2-इस नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय से है; और इसमें परिवार न्यायालय सम्मिलित है;

(ख) "नियमित न्यायालय" का तात्पर्य प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों से भिन्न न्यायिक जिला में कार्यरत सभी न्यायालयों से है;

(ग) "जिला" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्व जिला से है;

(घ) "प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालय" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन यथा अधिसूचित न्यायालय से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद से है;

(छ) "न्यायिक अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा के किसी सदस्य से है और इसमें किसी परिवार न्यायालय का पीठासीन अधिकारी सम्मिलित है;

(ज) "कर्मचारी-वर्ग का सदस्य" का तात्पर्य न्यायालयों में कार्यरत किन्हीं व्यक्तियों अथवा कर्मचारियों से है;

(झ.) "मानक" का तात्पर्य समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए विहित निस्तारण के मानक से है।

प्रातःकालीन/
सायंकालीन
न्यायालयों का
क्षेत्राधिकार

3-निम्नलिखित श्रेणी के मामलों के संबंध में प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा,-

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यातायात चालान से संबंधित वाद;

(दो) संबंधित दुकान और स्थापना अधिनियम से संबंधित वाद;

(तीन) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराधों और किसी अन्य अधिनियम अथवा नियमावली जहां विहित दण्ड गैर-अभिरक्षीय है, से संबंधित वाद;

(चार) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन चेक बाउसिंग के वाद;

(पांच) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण हेतु याचिकायें;

(छ) छोटे-मोटे अपराधों यथा;

(क) भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं 324, 325, 335, 344, 357, 379, 381, 406, 407, 408, 411, 414, 418, 419, 420, 429, 430, 451 और 494 के अधीन अपराधों को छोड़कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के अधीन सारणी एक और दो में उल्लिखित शमनीय वाद;

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 160, 279, 294, और 336 के अधीन वाद; और

(ग) किसी अधिनियम के अधीन ऐसे समस्त अपराध जो दो वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है;

(सात) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के अधीन साक्ष्य अभिलिखित किये जाने हेतु परिवाद और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 203 एवं 204 की स्थिति तक के वाद (आठ) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 (3) के अधीन प्रार्थना-पत्र;

(नौ) प्रथम सूचनादाता द्वारा प्रस्तुत अभ्यापत्ति याचिकाओं सहित अन्तिम रिपोर्ट्स का निस्तारण।

(दस) कोई अन्य वाद जो पक्षकारों की सहमति से प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों को अंतरित किये जायें;

(ग्यारह) अन्य श्रेणी के मामलों जिन्हें समय-समय पर उच्च न्यायालय/मुख्य न्यायाधीश अधिसूचित करें।

स्पष्टीकरण :- संदेहों के निराकरण हेतु एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि—

1—उक्त श्रेणियों के वादों को व्यवहृत करने हेतु नियमित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अपवर्जित नहीं है।

2—नियमित न्यायालयों में यथा प्रयोज्य प्रभावी नियमावलि या प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों पर भी लागू होंगी।

4—इस नियमावली के अधीन प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों के न्यायालय होने को उच्च न्यायालय अधिसूचित कर सकेगा।

प्रातःकालीन/
सायंकालीन
न्यायालयों की
अधिसूचना

प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालय नियमावली, 2011 के नियम 3 में प्रगणित मामलों में से उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किसी भी मामले पर प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

5—जनरल रूल्स (सिविल) और/अथवा जनरल रूल्स (क्रिमिनल) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी न्यायिक कार्य हेतु समस्त कार्य दिवसों में प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों की दैनिक बैठक अपराह्न 4.30 बजे से अपराह्न 6.30 बजे तक होगी। दैनिक बैठक का समय उच्च न्यायालय के अनुमोदन से जिला न्यायाधीश द्वारा बदला जा सकता है।

कार्य का समय

परन्तु उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश सायंकालीन न्यायालयों के स्थान पर प्रातःकालीन न्यायालयों की व्यवस्था कर सकते हैं। तथापि, ऐसी दशा में नियमित न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातःकालीन न्यायालयों का कामकाज लगातार दो घंटे होना चाहिए।

6—प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों के लिये समनुदेशित वादों के निस्तारण हेतु मानक इस नियमावली के नियम 2 (9) में निर्दिष्ट मानक का 25 प्रतिशत अथवा समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा नियत होगा।

निस्तारण हेतु
मानक

7—प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारी और कर्मचारि-वर्ग-सदस्य महंगाई भत्ता अथवा किसी अन्य भत्ते, भत्ते या परिलब्धियाँ जो भी हों, के बिना अपने मूल वेतन का 25 प्रतिशत मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे।

मानदेय

8—उच्च न्यायालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेंगे।

पर्यवेक्षण

9—उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 और अधीनस्थ न्यायालयों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियमावली और ऐसी अन्य नियमावलियों जो अवर न्याय पालिका तथा इसके तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में लागू हों, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और प्रातःकालीन/सायंकालीन न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारिवर्ग की अन्य सभी सेवा शर्तें इस नियमावली द्वारा शासित होगी।

सेवा शर्तें

न्यायालय की आज्ञा से,
दिनेश गुप्ता,
महानिबंधक।

आज्ञा से,
के० के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1915/VII-Nyaya-2-2010-87G/2008, dated March 07, 2011

No. 1915/VII-Nyaya-2-2010-87G/2008

Dated Lucknow, March 7, 2011

Pursuant to the Resolutions passed in the Joint Conference of Chief Ministers and the Chief Justices held at New Delhi on September 18, 2004 where all the Chief Ministers and Chief Justices were requested by Honourable the Chief Justices of India to take appropriate steps for speedy disposal of cases pending in the Courts, and in exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution, the High Court of Judicature at Allahabad hereby makes the following rules:—

THE MORNING/EVENING COURT RULES, 2011

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Morning/Evening Courts Rules, 2011;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall remain in force up to 31st March or for such further period as may be extended by the Government in consultation with the High Court, by publishing notification in the Official Gazette.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Court" means the District Court and the Court subordinate thereto, under the control of the High Court and shall include Family Court.

(b) "Regular Courts" means all the courts working in the judicial District other than Morning/Evening Courts.

(c) "District" means the Revenue District notified by the State Government.

(d) "Morning/Evening Court" means the Court as notified under rule 4.

(e) "Government" means the Government of Uttar Pradesh.

(f) "High Court" means the High Court of Judicature at Allahabad.

(g) "Judicial Officer" means a member of the Uttar Pradesh Judicial Service, Uttar Pradesh Higher Judicial Service and shall include Presiding Officer of a Family Court.

(h) "Member of Staff" means any persons or employees working in the Courts.

(i) "Norms" means the norms for disposal prescribed by the High Court, for the Subordinate Courts from time to time.

3. The Jurisdiction of Morning/Evening Courts shall be in respect of following categories of cases;—

Jurisdiction of
Morning/Evening
Courts

- (i) Cases pertaining to Traffic Challan under Motor Vehicles Act, 1988;
- (ii) Cases pertaining to respective shops and Establishment Act;
- (iii) Cases pertaining to offences under the Indian Penal Code and any other Act or rules where the punishment prescribed in non-custodial;
- (iv) Cheques bouncing cases under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881;
- (v) Petitions for maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973;
- (vi) Petty Offences such as;

(a) Cases Compoundable under section 320 of the code of Criminal Procedure, 1973 mentioned in Table-I and II excluding offences under sections 324, 325, 335, 344, 357 379, 381, 406, 407 408, 411, 414, 418, 419, 420, 429, 430, 451 and 494 of Indian Penal Code;

(b) Cases under section 160, 279, 294 and 336 of the Indian Penal Code; and

(c) All offences under any Act which are punishable up to two years of imprisonment;

(vii) Complaint cases for recording evidence under section 200 and 202 of the code of Criminal Procedure and up to the State of 203 and 204 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(viii) Applications under section 156 (3) Criminal Procedure Code, 1973.

(ix) Disposal of final reports including protest petitions preferred by the first informant.

(x) Any Other cases which may be transferred to the morning/evening Courts with the consent of the parties;

(xi) Such other class of matters that the High Court/Chief Justice may notify from time to time.

Explanation: For removal of doubts it is hereby clarified that—

1. The Jurisdiction of the Regular Courts to deal with the above categories of cases is not excluded.

2. The Rules in force as applicable to the Regular Courts shall also be applicable to the Morning/Evening Courts.

4. The High Court may notify the Courts to be the Morning/Evening Courts under these rules. The Morning/Evening Courts shall exercise jurisdiction on any of the matter notified by the High Court Rules, 2011.

Notification
Morning/Evening
courts

5. Notwithstanding anything contained in the General Rules (Civil) and/or the General Rules (Criminal), the daily sitting of Morning/Evening Courts for judicial work shall be 4.30 p.m. 6.30 p.m. on all working days. The time of daily sitting can be changed by the District Judge with the approval of the High Court.

Working Hours:

Provided that the District Judge after consultation with the High Court may provide morning Courts instead of evening Courts. However, in such event the two hours working of morning courts must be continuous before the commencement of regular Courts.

Norms for disposal:	6. The norms for disposal of cases assigned to the Morning/Evening Courts shall be 25% of the Norms referred in rule 2 (9) of these rules or fixed by the High Court from time to time.
Honorarium	7. The Judicial Officers and the members of the staff working in the Morning/Evening Courts shall receive 25% of their basic pay, as honorarium without the merged Dearness Allowance or any other allowances, perks or perquisites whatsoever.
Supervisions:	8. Subject to the overall control of the High Court, the District & Sessions Judge shall supervise and monitor the functioning of the Morning/Evening courts.
Service Condition:	9. Subject to the provisions contained in the U.P. Judicial Service Rules, 2001, U.P. Higher Judicial Service Rules, 1975 and Recruitment Rules of Class III and IV service in Subordinate Courts and such other rules as applicable to the Lower Judiciary and its Class III and IV services, all others service conditions of the Judicial Officers, other officers and the members of the staff working in the Morning/Evening Courts shall be governed by these rules.

By order of the Court,
DINESH GUPTA,
Registrar General

By order,
K. K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1319 राजपत्र (हि०)-2011-(2655)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/ट्रे०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 9 सा० न्याय-2011-(2656)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/ट्रे०/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2011

अग्रहायण 29, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 1266/सात-न्याय-2-2011-87जी-2008
लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

प0आ0-639

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) की अधिसूचना संख्या-1915/सात-न्याय-2-2010-87जी/2008, दिनांक: 07 मार्च, 2011 द्वारा अधिसूचित प्रातः कालीन/सायंकालीन न्यायालय नियमावली, 2011 के हिन्दी/अंग्रेजी पाठ के राजकीय गजट में प्रकाशन की प्रक्रिया में उक्त नियमावली में कतिपय अशुद्धियाँ एवं शब्द त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हो गये हैं।

2-अतः उक्त अधिसूचना संख्या-1915/सात-न्याय-2-2010-87जी/2008, दिनांक 07 मार्च, 2011 द्वारा अधिसूचित उक्त नियमावली के हिन्दी/अंग्रेजी पाठ को निम्नवत् पढ़ा जाय:-

उक्त अधिसूचना के प्रकाशित राजकीय गजट का हिन्दी पाठ

(1)- पृष्ठ 1 से 3 पर अंकित नियम संख्या-1 से 9 के पश्चात् लगे डैश (—) के स्थान पर फुलस्टाप (.) लगाकर पढ़ा जाय।

(2)- पृष्ठ-2 की प्रथम लाइन के अंत में लगे सेमीकोलन डैश (; —) के स्थान पर कोलन डैश (: —) लगाकर पढ़ा जाय।

(3)-पृष्ठ-2 के नियम 2 (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'है' तथा 'और' के मध्य लगे सेमीकोलन (;) को विलोपित करके पढ़ा जाय।

(4)– पृष्ठ-2 के नियम 3 की दूसरी पंक्ति में शब्द 'होगा' के पश्चात् लगे सेमीकोलन डैश (; –) के स्थान पर कोलन डैश (: –) लगाकर पढ़ा जाय।

(5)– पृष्ठ-2 के नियम 3 (सात) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'संहिता' के पश्चात् कामा (,) बढ़ाकर पढ़ा जाय।

(6)– पृष्ठ-2 के नियम 3 (सात) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'वाद' के पश्चात् अंकित नियम 3 (आठ) को अगली पंक्ति से स्थापित करके पढ़ा जाए।

(7)– पृष्ठ-2 के नियम 3 (आठ) में अंकित शब्द 'संहिता' के पश्चात् कामा (,) बढ़ाकर पढ़ा जाय।

(8)– पृष्ठ 3 के नियम 3 (ग्यारह) में शब्द अन्य के पहले शब्द 'ऐसे' बढ़ाकर पढ़ा जाए।

उक्त अधिसूचना के प्रकाशित राजकीय गजट का अंग्रेजी पाठ

(9)– पृष्ठ-4 के प्रथम पंक्ति के शब्द 'IN' और 'provisions' के स्थान पर शब्द 'In' और 'provision' पढ़ा जाए।

(10)– पृष्ठ-4 के दूसरी पंक्ति में शब्द 'Notification' के स्थान पर शब्द 'notification' पढ़ा जाए।

(11)– पृष्ठ-4 के तीसरी पंक्ति में शब्द '2008, dated' के मध्य लगे कामा (,) को विलोपित करके पढ़ा जाए।

(12)– पृष्ठ-4 के तीसरी पंक्ति में शब्द '2011' के पश्चात् फुलस्टाप (.) लगाकर पढ़ा जाए।

(13)– पृष्ठ-4 के तीसरी पंक्ति के पश्चात् अधिसूचना संख्या के ऊपर मध्य में शब्द 'NOTIFICATION' बढ़ा करके पढ़ा जाए।

(14)– पृष्ठ-4 के चौथी पंक्ति में अधिसूचना संख्या में अंकित शब्द 'Nyaya' के स्थान पर शब्द 'NYAY' पढ़ा जाए।

(15)– पृष्ठ-4 के ग्यारहवीं पंक्ति में हेडिंग 'THE MORNING/EVENING COURT RULES, 2011' को अण्डरलाइन करके 'THE MORNING/EVENING COURT RULES, 2011' पढ़ा जाए।

(16)– पृष्ठ-4 के नियम-1 (1) की पंक्ति में the Morning/Evening Court Rules, 2011 को इनवर्टेड कामा (') बढ़ाकर 'the Morning/Evening Court Rules, 2011' तथा इसमें 2011 के पश्चात् लगे सेमीकोलन (:) के स्थान पर फुलस्टाप (.) लगाकर पढ़ा जाए।

(17)– पृष्ठ-4 के नियम 1(2) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'March' और 'or' के मध्य में वर्ष '2015' बढ़ाकर पढ़ा जाए।

(18)– पृष्ठ-5 के नियम 3 के दूसरी पंक्ति में शब्द 'cases' के पश्चात् सेमीकोलन डैश (; –) के स्थान पर कोलन डैश (: –) लगाकर पढ़ा जाए।

(19)– पृष्ठ-5 के नियम 3 (Vii) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'code' के स्थान पर शब्द 'Code' तथा शब्द 'State' के स्थान पर शब्द 'state' इस रूप में पढ़ा जाय।

(20)– पृष्ठ-5 के नियम 4 के टाइटिल 'Notification Morning' के मध्य में शब्द 'of' बढ़ाकर शब्द 'Notification of Morning' पढ़ा जाय।

(21)– पृष्ठ-5 के नियम 4 के तीसरी पंक्ति में 'High Court' और 'Rules, 2011.' के मध्य में 'amongst the matters enumerated in rule 3 of the Morning/Evening Courts' बढ़ाकर पढ़ा जाए।

(22)– पृष्ठ-5 के नियम 5 की छठी पंक्ति में शब्द 'provide' और 'morning' के मध्य में 'for' बढ़ाकर पढ़ा जाए।

आज्ञा से,
के० के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।